धनराल बनाम आशीदेवी वगै0 अपील एलआर एक्ट दिनांकः 04.11.2020

पत्रावली आज अपीलांट अधिवक्ता व रेस्पो0 सं0 3 के अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह के उपस्थित आकर निवेदन पर पेशी में ली गई। रेस्पो0 सं0 3 अधिवक्ता व स्वंय ने दिनांक 21.10.2020 को प्रारम्भिक आपत्तियां व पक्षकारान के राजीनामे की एक फॉटोप्रति पेश की जो शा0मि0। रेस्पों0 सं0 3 ने लिखित प्रारम्भिक आपत्ति में बताया कि अपीलांट की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है। और अपीलांट के वारिसान को रिकार्ड में नहीं लिया गया ना ही हाजिर आये। अपील खारिज करने का निवेदन किया जिसपर रेस्पों0 सं0 3 के प्रारम्भिक आपत्ति प्रा0 पत्र पर अपीलांट अधिवक्ता ने ' नो इन्स्ट्रक्शन' लिखते हुवे बताया कि अपीलांट के वारिसों से अपील की पैरवी या चलाने के कोई निर्देश नहीं । अतः अपीलांट की मृत्यु उपरान्त वारिसों के लम्बे समय से उपस्थित नहीं आने व अपीलांट अधिवक्ता की ओर अनाप्ति जाहिर करने पर अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:16 IST
Reason: SelfAttested